सं. ए-11018/12/2014/एमएच-II/पीएच-II

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

पीएच-II प्रभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: अप्रैल, 2016

<u>सूचना</u>

मंत्रालय द्वारा एआईआईपीएमएंडआर, मुंबई में प्रशासनिक अधिकारी के लिए भर्ती नियम में संशोधन लाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। इस संबंध में, भर्ती नियम का प्रारूप तैयार किया गया है और उसे सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

डीओपीटी, यूपीएससी तथा अन्य संबद्ध एजेंसियों के पास प्रस्ताव भेजने से पहले, इस विषय में सभी पणधारियों से टिप्पणियां, यदि कोई हों, आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियां दिनांक 12.05.2016 तक अधोहस्ताक्षरी, कमरा नं. 435 'सी', निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110108 को भेजी जाएं और सॉफ्ट कॉपी ई-मेल ziley.vical.nic.in पर प्रेषित की जाए।

संलग्नक: यथोक्त

(जिले सिंह विकल)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23061554

(भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, ..., 2016

अधिसूचना

सा.का.नि. – राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई प्रशासनिक अधिकारी भर्ती नियम, 2000 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की विधि को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों को अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अनुप्रयोग - ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान इन नियमों में संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि – भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हता तथा उक्त पदों से संबंधित अन्य विषय अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

5. निरर्हता:- वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनसुार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की सं.	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	क्या प्रवरण पद अथवा गैर-प्रवरण पद	सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
प्रशासनिक अधिकारी	1* (एक) *कार्यभार के आधार पर संख्या बढ़ाई जा सकती है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित लिपिकीय	पे-बैंड-2 वेतनमान 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4600/- रुपए	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या प्रत्यक्ष भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं प्रदोन्नति के विषय में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि (या प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा या पदोन्नती द्वारा, या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न विधियां द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता)	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन ग्रेड़ द्वारा की गई भर्ती के मामले में जहां पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाता है।	यदि कोई डीपीसी है तो, इसका संयोजन क्या है?	वे परिस्थितियां जहां भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श किया जाता है।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा	<u>पदोन्नति</u> ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवा सहित सहायक कार्यशाला प्रबंधक से पदोन्नति। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केंद्र सरकार के अधिकारी (क) (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं: या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में पे-बैंड-2, रु.9300-34800 + रु. 4200 (ग्रेड-पे) में 3 वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास प्रशासन, स्थापना और लेखा मामलों में दो वर्ष का अनुभव हो।	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति या स्थायीकरण समिति। 1. अपर निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई: अध्यक्ष 2. उप निदेशक (पुनर्वास), अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई: सदस्य 3. परामर्शदाता (अनेस्थेसिया), अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई: सदस्य 4. सीएमओ (एनएफएसजी), अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई: सदस्य 5. संबंधित विभागाध्यक्ष, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई: सदस्य	प्रत्येक पद की नियुक्ति पर प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श अनिवार्य है।